माननीय अध्यक्ष जी,

मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट प्रस्तुत कर रही हूँ।

सर्वप्रथम में माँ शक्तिस्वरूपा नन्दा देवी का सभी की सुख समृद्धि के लिए स्तवन करती हूँ।

नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा।
स्तुता सा पूजिता भक्तत्या वशी कुर्याज्जगत्त्रयम्।।
सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्।
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्।।

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष प्रदेश की तीसरी निर्वाचित सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत कर रही हूँ।

खड़ा हिमालय बता रहा है,
डरो न ऑधी पानी में।।
खड़े रहो अपने पथ पर,
सब कठिनाई तूफानों में।।

मान्यवर अपने पूर्व वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट भाषण में मैनें इस प्रदेश के पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, बागवानी एवं अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों को पुनः अपने पूर्व रूप में खड़ा करने के मिशन का उल्लेख किया था। अपने इस मिशन में हम बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। साथ ही अन्य राज्यों में आयी प्राकृतिक आपदा में भी कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं। इसी क्रम में जम्मू–कश्मीर राज्य में आपदा के दौरान राज्य सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। वर्ष 2013 की आपदा के उपरान्त पारम्परिक चारधाम यात्रा निर्बाध रुप से सम्पन्न करायी गयी तथा पहली बार प्रदेश में यात्रियों के बायोमौट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था विभिन्न 13 स्थलों पर की गयी है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा व नन्दा राजजात यात्रा से सुरक्षित उत्तराखण्ड का संदेश सम्पूर्ण विश्व में गया है। सरकार द्वारा औली में विंटर कार्निवाल तथा ऋषिकेश में अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का सफल आयोजन किया गया है। महिलाओं के सम्मान में उच्च आदर्श स्थापित करते हुए उनके सामाजिक एवं आर्थिक

विकास के अवसर उपलब्ध कराने का समुचित प्रयास किया गया है इसी क्रम में वित्त विभाग में जेण्डर सेल का गठन कर दिया गया है जो नियमित रूप से जेण्डर बजट के विभिन्न पहलुओं की व्यवस्था कराने के साथ–साथ बजट के उपयोग के अनुश्रवण का भी कार्य करेगा।

मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिन्दगी का इम्तिहान होता है।
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगीं में,
लड़ने वालों के कदमों में जहॉ होता है।

आर्थिक एवं राजकोषीय परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हमारे अपने स्वयं के साधनों से कुल आय लगभग ` 9670.30 करोड़ अनुमानित है। केन्द्रीय करों के रूप में हमारे अंश में प्राप्त आय ` 5526.08 करोड़ है जो कि राज्य के कुल

राजस्व का लगभग 24.44 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान की मद में ` 8720.04 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।

वर्तमान परिस्थितियों यथा भारत सरकार द्वारा पारित वर्ष 2015–16 के बजट के अनुसार राज्य को गत् वर्षों तक एन.सी.ए., एस.सी.ए. एस.पी.ए. आदि के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि अब प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कई अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं यथा जे.एन.यू.आर.एम., राष्ट्रीय ई–शासन कार्यक्रम, बी.आर.जी. एफ. आदि में केन्द्रीय सहयोग भी समाप्त किया गया है व कई केन्द्र पोषित योजनाओं के शेयरिंग पैर्टन में भी बदलाव किया गया है। परिणाम स्वरूप उक्तानुसार संसाधनों की कमी होना सम्भावित है।

एन.सी.ए., एस.पी.ए. इत्यादि स्कीमों के समाप्त होने से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, संसाधनों में विशेष रूप से फ्री फ्लोट धनराशि में

कमी आने से राज्य योजना व जिला योजना के वित्तीय पोषण पर प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार एक ओर जहाँ व्यय पक्ष में प्रतिवर्ष तेजी से वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर प्राप्तियों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। उक्त परिस्थितियों में वचनबद्ध व्ययों (वेतन, पेंशन, ऋण दायित्व आदि) में ही कुल बजट का लगभग 60 प्रतिशत से अधिक व्यय होता है। अतः राजस्व वृद्धि के प्रयासों में तेजी लाते हुए कड़े वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है।

वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हों।
नाविक की धैर्य कुशलता क्या,
जब धाराएँ प्रतिकूल न हों।

मान्वयर,

संक्षेप में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों का यहाँ उल्लेख करना चाहती हूँ जो निम्नानुसार हैः–

- राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ है। तद्नुसार इन खेलों के आयोजन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 के आयोजन हेतु आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी कार्य के लिये धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- भवाली (नैनीताल) के समीप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक रूप से चकबन्दी प्रक्रिया को प्रोत्साहन हेतु माननीय मुख्यमंत्री कोष में धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण एवं सहायता हेतु राज्य आन्दोलनकारी कोष की स्थापना का प्राविधान किया गया है।

- उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी एवं ऊर्दू अकादमी हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- हरिद्वार से बद्रीनाथ मार्गों पर पड़ने वाले स्थानों में बद्री केदार उत्सव अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पुनः प्रारम्भ किये जाने के लिए धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति एवं आई.सी.डी.एस. सेवाओं में पूर्ण जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वृद्ध महिलाओं का सहयोग लिये जाने तथा वृद्ध महिलाओं के सम्बन्ध सकारात्मक पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना' हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

- राज्य के कुपोषित बच्चों हेतु न्यूट्रिशन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- जन्म से विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक `500 प्रति माह भत्ता दिया जायेगा।
- राज्य की सांस्कृतिक धरोहर विश्व स्तर पर स्थापित करने हेतु सांस्कृतिक धरोहरों के दर्शन की योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- नवसृजित तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला विभाग हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- गाँवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ने एवं गाँवों से पलायन रोकने के दृष्टिगत 'मेरा गाँव मेरी सड़क योजना' हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- नवसृजित पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग हेतु धनराशि प्रस्तावित गयी है एवं भविष्य में अन्य क्षेत्रों हेतु विकास विभाग सृजित किये जायेंगे।

- पर्वतीय जनपदों में 500 एवं मैदानी जनपदों में 5000 की जनसंख्या से अधिक के गाँवों में नाली, सड़कों, पेयजल आदि के निर्माण/ पुननिर्माण हेतु कापर्स फण्ड की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- जिलों के प्रमुख नगरों के निकटवर्ती ग्रामों को अपनी आन्तरिक व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कर लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- 'मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना' हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- वृक्षों एवं पर्यावरण के प्रति स्कूल के बच्चों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना' प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है।
- 'मेरा वृक्ष मेरा धन' योजनान्तर्गत उपादन आधारित इन्सेन्टिव देने की व्यवस्था की जायेगी।

- जंगली जानवर मानव संघर्ष न्यून करने सम्बन्धी योजनाओं के क्रम वानरों से फसलों व अन्य क्षतियों को कम करने तथा मानव वानर संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु 'मानव–वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना' हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।
- ऊधमसिंह नगर, नैनीताल आदि तराई के जनपदों मे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रापिकल टसर रेशम कीट भोज्य पौधों पर कीटपालन आदि कार्य हेतु 'वन्या रेशम विकास योजना' को प्रारम्भ किया जायेगा।
- मुंशी हरि प्रसाद टम्टा जी की स्मृति में बहुउद्देशीय शिल्प संस्थान गुरूडाबांज के निर्माण हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।
- बुक्सा एवं राजी जनजाति के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु बुक्सा एवं राजी जनजाति बाहुल्य बस्तियों में अवस्थापना

सुविधा विकास के लिए धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

- 80 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों हेतु आर्थिक सहायता योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना को और व्यापक बनाते हुए इसमें महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत तक का मात्राकरण किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत हस्तशिल्प, हथकरघा को प्रोत्साहन देने हेतु मास्टर क्राफ्ट्स मैन योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- 100 कलस्टर को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करने के लिए योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- हल्द्वानी में पच्चीस एकड़ भूमि में मण्डी का विस्तारीकरण किया जा रहा है।

- जलागम प्रबन्धन अन्तर्गत चाल–खाल योजना को विशेष रूप से प्रारम्भ किया जायेगा।
- कुमाऊँ मण्डल में चम्पावत, सोमेश्वर व गढ़वाल मण्डल अन्तर्गत सिमली में महिला बेस चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी तथा हल्द्वानी बेस चिकित्सालय व देहरादून में दून चिकित्सालय में पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं हेतु दो वार्ड स्थापित किये जायेगे।
- राज्य के वरिष्ठ नागरिक हेतु चिकित्सालयों में बेड आरक्षित किये जायेगे।
- मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- जखोली, गंगोलीहाट, चम्पावत व बाजपुर में पशुचिकित्सा कालेज की स्थापना की जायेगी तथा पिथौरागढ़ जनपद के नबियाल गॉव में कालसी की भॉति पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया जायेगा।

- अल्मोड़ा में विज्ञान केन्द्र व विज्ञान पार्क की स्थापना की जायेगी।
- प्रत्येक शहर में स्वयं सहायता समूह बाजार व महिला बाजार विकसित किये जायेगे।
- प्रदेश के लघु व्यापारियों को अग्निकाण्ड, चोरी आदि की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जायेगी।
- राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण हेतु `10 करोड़ से एक कोष की स्थापना की जायेगी।
- देश के लिए शहीद होने वाले उत्तराखण्ड के शहीदों के परिवारों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- स्वयं सहायता समूह (एन0जी0ओ0) से संचालित वनराजी एवं जनजाति विद्यालयों का

उनकी इच्छानुसार प्रान्तीयकरण किया जायेगा।

- वन विभाग द्वारा सीतावनी को महर्षि बाल्मिकी तीर्थ के रूप में विकसित किया जायेगा।
- प्रान्तीय रक्षक दल व होमगार्ड्स में महिलाओं हेतु 20 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।
- कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जायेगा ।
- हल्द्वानी में स्थित उत्तराखण्ड के एकमात्र महिला कालेज को इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय कालेज आफ कामर्स के रूप में स्थापित किया जा रहा है जिसमें कम्पनी सेक्रेटरी आदि के व्यवसायिक कोर्स भी होंगे।
- पर्वतीय अंचलों में चकबन्दी की समस्या के निराकरण हेतु पर्वतीय चकबन्दी निदेशालय की स्थापना की जायेगी।

- राज्य के अपदाग्रस्त पत्रकारों व उनके आश्रितों की सहायता के लिए स्थापित कार्पस फण्ड की धनराशि को डेढ़ गुना किया जा रहा है।
- राज्य के अधिवक्ताओं हेतु अंशदायी बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी।

बैंकिंग सेवाऐं :

राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के प्रत्येक हाउस होल्ड में कम से कम एक व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाने के लिये राज्य सरकार तथा बैंक कृत संकल्प है। राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक तथा अन्य बैंकों की लगभग 2038 शाखायें कार्यरत् हैं तथा जिन गाँवों में लाभप्रदता उपलब्ध न होने के कारण बैंक अपनी शाखायें नही खोल पाये हैं उन गांवों को बैंकों द्वारा 2149 कलस्टर में विभाजित किया गया है तथा इन कलस्टर में बैंकों द्वारा 1278 बिजनेस

कॉरस्पोन्डेन्ट नियुक्त कर ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधायें पहुॅचायी जा रही है।

राज्य के प्रत्येक जिले में वित्तीय साक्षरता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा 657 वित्तीय साक्षरता कैम्प लगाकर 40642 व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं सम्बन्धी जानकारियों प्रदान की गई हैं। इस कार्यक्रम की न केवल लगातार जारी रखा जाना है बल्कि इसे व्यापक रूप में चलाया जाने आवश्यक है।

राज्य में 01 जनवरी, 2015 से डी0बी0टी0 (डायेरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) अर्थात डी0बी0टी0एल0 योजना लागू हो गयी है जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों को लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा किया जा सकेगा।

कोषागार एवं वित्त सेवायें :

पूर्व निर्गत शासनादेशों में राज्य सरकार के पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागारों में प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार/उपकोषागार/बैंक में उपस्थित हो कर अपने जीवित होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रस्तुत कर सत्यापन की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान था। जीवित होने का प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु माह नवम्बर में कोषागारों/उपकोषागारों में पेंशनरों की एक साथ उपस्थिति के कारण कोषागार कर्मियों को सत्यापन की कार्यवाही एवं अन्य रूटीन कार्यों को एक साथ करने में असुविधा होती थी साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिक विशेषकर अत्यधिक बुजुर्ग पेंशनरों को कोषागार/उपकोषागार में दिन भर बैठकर प्रतीक्षा करने एवं सत्यापन न होने की दशा में पुनः कोषागार आने जैसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पूर्व व्यवस्था के तहत बैंक अथवा कोषागार में जमा किये जाने वाली जीवित प्रमाण–पत्र प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह के स्थान पर पेंशनर की सेवानिवृत्त के माह में एवं पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होने के माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराये जाने की

महत्वपूर्ण एवं जनहित की प्रक्रिया माह अगस्त 2014 से लागू की गयी है।

सारे भुगतान सीधे प्राप्त कर्ता के बैंक खातों में जमा कराने की व्यवस्था की जा चुकी है। निविदाओं की ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कराने आदि व्यवस्था नई तकनीक के आधार पर पूर्ण रूप से अपनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वाणिज्य कर :

वाणिज्य कर अर्थात मूल्य वर्धित कर (वैट) उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व अर्जन का एक प्रमुख विभाग है। विभाग में पारदर्शिता एवं क्षमता बढ़ाने हेतु त्वरित गति से कम्प्यूटराइजेशन करते हुए वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी जाने वाली अधिकांश सर्विसेज ऑनलाईन की जा चुकी हैं। जिसके अन्तर्गत ई रजिस्ट्रेशन, ई रिटर्न, ई पेमेन्ट, ई रिफण्ड, ऑनलाईन वाहन पंजीयन, ई ट्रिपशीट की सुविधा, ई डी0सी0आर0, हेल्पडेस्क, एम0एस0एस0 सर्विसेज एवं ई फार्म डाउनलोड करने

संबंधी सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं। इन सुविधाओं से विभाग एवं व्यापारियों दोनों की ही समय की बचत के साथ कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है।

जी0एस0टी0 कर प्रणाली माह अप्रैल–2016 से लागू होनी सम्भावित है। जी0एस0टी0 कर प्रणाली लागू होने पर राजस्व के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत राज्य क्षति के प्रावधानों का स्पष्ट आकलन व समय से अनुपालन एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर व्यापार संघों/इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन/अधिवक्ता संघो के साथ बैठक करते हुए उनसे चर्चा की जा रही है तथा जी0एस0टी0 इम्पावर्ड कमेटी में हुई चर्चा/निर्णयों से अवगत कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वैट अन्तर्गत ` 6209.81 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है तथा व्यय पक्ष में ` 204.02 करोड़ का प्रावधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 46 उप–निबंधक कार्यालयों में से 19 सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले उप–निबंधक कार्यालय कम्प्यूटरीकृत कराये गये हैं। भविष्य में उप–निबंधक कार्यालय रामनगर, जसपुर, नैनीताल तथा कोटद्वार को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा तथा इसके पश्चात् अन्य सभी कार्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत कराया जाना है। प्रदेश के ऐसे स्थान जहॉ पर दो या उससे अधिक उप निबंधक कार्यरत हैं, यथा देहरादून सदर, विकासनगर, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी में कार्यालयों का कार्यसमय प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक शिफ्ट में निर्धारित किया गया है, जिससे कि जनसामान्य को अपने विलेखों का निबंधन कराने हेतु अधिक समय उपलब्ध हुआ है। जनसामान्य की सुविधा हेतु वैबसाइट eregistration.uk.gov.in पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं यथा ई–सर्च, ऑन लाइन कैलकुलेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, पब्लिक डाटा एन्ट्री, रजिस्ट्री कराने के लिए ऑन लाइन समय आवंटन तथा ऑन लाइन विवाह

प्रार्थना पत्रों के आवेदन दाखिल किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। कोटद्वार में उप निबंधक कार्यालय हेतु विभागीय भवन का निर्माण कराया गया जा रहा है तथा उप निबंधक कार्यालय हल्द्वानी के विस्तारीकरण की प्रक्रिया गतिमान है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से ` 777.21 करोड़ का राजस्व अनुमानित है जबकि व्यय पक्ष में ` 35.13 करोड़ का प्रावधान है।

आबकारी :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 के निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी विभाग के प्रशासन की मौलिक नीति मादक पदार्थो के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन और प्रभावीकरण करती है। मद्य निषेध नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक पदार्थों के वैधानिक विक्रय से अधिकतम

राजस्व प्राप्त किया जाय। अधिक राजस्व अर्जित करने के दृष्टि आबकारी विभाग द्वारा बॉटलिंग नीति, उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से वाइन उत्पादन हेतु विन्टनरी नीति व माइक्रो पब ब्रुवरी नीति निर्गत की गयी है। प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का 98 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिये अवमुक्त किया जाता है। आबकारी विभाग को मात्र मदिरा एवं भांग आदि मादक पदार्थों की आपूर्ति एवं राजस्व अर्जन करने का विभाग मानना एक भ्रांति है। वस्तुस्थिति इस भ्रांति से भिन्न है। प्रदेश मे उत्पादित एल्कोहल की अधिक मांग औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थो के निर्माण हेतु किया जाता है।

देशी/विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राम लगाने से अवैध मदिरा

के व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने में काफी हद तक सफलता मिली है।

वर्ष 2015–16 में आबकारी विभाग से `1799.33 करोड़ राजस्व प्राप्ति अनुमान सहित व्यय पक्ष में `16.21 करोड़ का प्रावधान है।

परिवहन :

राज्य में सड़क परिवहन आवागमन का प्रमुख साधन है। परिवहन व्यवस्था का राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में सरल, आरामदायक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने व मार्ग दुर्घटनाओं में कमी करने के राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। राज्य की बसों में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में आई0एस0बी0टी0 के स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा सितारगंज एवं बागेश्वर बस अड्डे के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

वर्तमान में राज्य में परिवहन कार्यालयों में चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा हेतु कोई अवस्थापकीय सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण प्रत्येक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में हल्का एवं भारी सिमुलेटर्स उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 लागू होने के पश्चात् अन्य प्रदेशों से राज्य में आने वाले वाहनों से उपकर वसूली दिनांक 31 जनवरी, 2015 तक ` 635.87 लाख की वसूली गयी है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए विभाग अपनी विस्तृत योजना शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में परिवहन विभाग हेतु ` 43.66 करोड़ का प्रावधान है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा राज्य के सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण एवं जनहित कार्यों के लिये राज्य से बाहर की यात्राओं के लिये राज्य के हेलीकाप्टर एवं वायुयान के परिचालन तथा किराये के विमान आदि की व्यवस्था करते आ रहा है। विगत वर्षों के दौरान राज्य में आयी दैवी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य एवं लोगो को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। यूकाडा द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से पर्वतीय अंचलों में हैलीकाप्टर सेवा शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा एवं सुदूरवर्ती दुर्गम पहुॅच वाले पर्वतीय क्षेत्रों से यात्रियों को लाने के लिए सब्सिडी आधारित हैलीकाप्टर सेवा प्रारम्भ

करने की दिशा में कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही मूर्तरूप दिये जाने की सम्भावना है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में नागरिक उड्डयन विभाग हेतु ` 62.05 करोड़ का प्रावधान है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

उत्तराखण्ड राज्य की प्रगति और उसके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण व मूल आवश्यकताओं में से एक है। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं उत्पादकता हेतु भी ऊर्जा एक सशक्त माध्यम है। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत यूजेवीएन लि0, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, उरेड़ा एवं विद्युत सुरक्षा क्रमशः विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण वैकल्पिक ऊर्जा/ऊर्जा संरक्षण तथा विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित कर रहे हैं।

विद्युत विभाग द्वारा 2 मेगावाट की हाईड्रोपावर व पिरूल आधारित ऊर्जा उत्पादन एवं एल0इ0डी0 के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी।

वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड के अन्तर्गत 1290.10 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनायें परिचालन में हैं तथा 175.00 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है।

नई परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में जनपद देहरादून में यमुना नदी पर स्थित 120 मेगावाट क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 300 मे0वा0 की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं। जनपद चमोली में स्थित 300 मे0वा0 की बवाला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना की सफल जनसुनवाई पूर्ण हो चुकी है। 100 मे0वा0 की नन्द प्रयाग लंगासू की डी0पी0आर0 संशोधित की जा रही है। प्रदेश के सीमान्त

क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उपकेन्द्रों का निर्माण किया जायेगा।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 15761 राजस्व ग्रामों में से 15638 ग्रामों (99.2%) का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित रह गये लगभग 3000 तोको के सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है।

वर्ष 2015–16 में विभिन्न क्षमता के 4300 न0 परिवर्तक तथा 860 कि0मी0 एच0टी0 तथा 1260 कि0मी0 एल0टी0 लाईनों को स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2014–15 में विभिन्न क्षमता के खराब मीटरों को बदलने तथा मेकैनिकल मीटरों को इलेक्ट्रोनिक मीटरों मे बदलने तथा मीटरों को उपभाक्ताओं के परिसरो से बाहर निकालने का कार्य भी किया गया है। वर्ष 2014–15 में लगभग दो लाख मीटर विभिन्न उपभोक्ताओं के संयोजनों पर स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2015–16 में दो लाख पच्चीस हजार मीटर बदलने का लक्ष्य है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उपकालि की क्षतिग्रस्त 61.50 कि0मी0 33

के0वी0 लाईन, 275 कि0मी0 11 के0वी0/एल0टी0 लाईनों तथा 377 वितरण उपस्थानों में से 27 कि0मी0 33 के0वी0 लाईनों, 262 कि0मी0 11 के0वी0/एल0टी0 लाईनों तथा 377 वितरण उपस्थानों की पुर्नस्थापना की जा चुकी है। श्री नन्दा देवी राजजात यात्रा 2014 के सफल संचालन हेतु यात्रा के मुख्य पड़ावों एवं मार्गो पर विद्युत की समुचित व्यवस्था की गई। इस हेतु लगभग 15 कि0मी0 11 के0वी0/एल0टी0 लाईनों का निर्माण किया गया, 8 नग वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना की गई, 6 नग वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि की गई एवं यात्रा मार्ग तथा पड़ावों में पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु लगभग 300 नग स्ट्रीट लाईटें लगाई गई।

पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 400 के0वी0 उपस्थान श्रीनगर, 220 के0वी0 उपस्थान जाफरपुर, 220 के0वी0 पिरान कलियर, 132 के0वी0 उपस्थान चुड़ियाला, 132 के0वी0 उपस्थान लालतप्पड़ देहरादून एवं 132 के0वी0 उपस्थान श्रीनगर तथा संबंधित लाईनों की महत्वपूर्ण विद्युत पारेषण परियोजनाओं को पूर्ण किया

जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही राज्य में स्थापित विद्युत उपस्थानों की क्षमता वृद्धि (1275 एम0वी0ए0) का कार्य भी किया जायेगा जिससे गढ़वाल एवं कुमाऊ क्षेत्र में स्थापित विद्युत उपस्थानों की अतिभारिता कम होगी एवं विद्युत आपूर्ति मे गुणात्मक सुधार होगा।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 692 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना विकास भवनों में पूर्ण की जा चुकी है। पाँच राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में सत्ताइस हजार ली0 क्षमता के सोलर वाटर हीटिंग संयत्र एवं 02 विद्यालयों में सोलर स्टीम कुकिंग सयत्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से कुल 24 मे0वा0 क्षमता के बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। दैवीय आपदा से प्रभावित 35 लघु जल विद्युत परियोजनाओं एवं 11 निर्माणाधीन लघु जल विद्युत योजनाओं का पुर्ननिर्माण, 31 योजनाओं हेतु पुर्नस्थापन प्रगति पर है। राज्य में सौर उर्जा नीति लागू की गयी है जिसके अर्न्तगत कुल 500 मे0वा0 पावर

प्लान्ट की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। प्रथम चरण में टाइप 1 श्रेणी के अर्न्तगत कुल 50 मे0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट स्थापित कराने हेतु कम्पटेटिव रिवर्स बिडिंग हेतु प्रस्ताव आमंत्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है एवं सोलर वाटर हीटर कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 लाख की प्रतिदिन क्षमता सोलर वाटर हीटर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उरेडा द्वारा 400 यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु शीघ्र ही एक आकर्षक योजना प्रस्तावित की जायेगी। 05 तीव्र वायुवेग वाले स्थलों पर पवन वेग के आकडों को मापने हेतु विण्ड मास्ट सयंत्रों की स्थापना की गयी है एंव 5 स्थलों पर विण्ड मास्ट संयत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, 600 पारिवारिक बायोगेस संयत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2015–16 में ऊर्जा क्षेत्र हेतु ` 203.01 करोड़ जिसमें से वैकल्पिक ऊर्जा हेतु ` 5.97 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य सम्पत्ति :

राज्य सम्पत्ति विभाग सचिवालय का अति महत्वपूर्ण अंग है जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था, माननीय मंत्रीगण एवं सचिवालय स्तर पर अधिकारियों की वाहन व्यवस्था, उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली, उत्तराखण्ड सदन नई दिल्ली, नैनीताल हरिद्वार, कौसानी, काठगोदाम, उत्तराखण्ड भवन लखनऊ तथा देहरादून में अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन पर उनके ठहरने की व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण के आवासों में साज–सज्जा आदि कार्य राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा व्यवहत किया जाता है। जनपद चमोली के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय निर्माण कार्य तथा जनपद देहरादून के रायपुर में सचिवालय भवन/विधान भवन, मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं एम्पोरियम की स्थापना सम्बन्धी कार्य तथा दिल्ली स्थिति उत्तराखण्ड निवास का पुनर्निर्माण व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी कार्य की प्रक्रिया गतिमान है।

वर्ष 2015–16 में राज्य सम्पत्ति हेतु ` 38.28 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई :

राज्य के असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से आच्छादित करने तथा आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग के वार्षिक आय–व्ययक में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। राज्य में सिंचाई विभाग द्वारा कुल 2791 नहरें, 1328 नलकूप एवं 183 लघुडाल नहरों के माध्यम से 3.956 लाख है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत वर्तमान में नलकूप निर्माण/पुनरूद्धार मद में 36 योजनायें नहर पुनरूद्धार मद में 61 योजनायें, एवं लघुडाल नहर निर्माण/ पुनरूद्धार मद में 4 योजनायें (3 लिफ्ट एवं 1 जल वितरण प्रणाली) निर्माणाधीन हैं। पानी की कम उपलब्धता की स्थिति में सिंचाई हेतु अधिकतम उपयोग हेतु ड्रिप/माइक्रो स्प्रिंकलर योजनाओं के निर्माण पर बल दिये जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके

अन्तर्गत स्प्रिंकलर प्रणाली पर आधारित नलकूपों के निर्माण किये जा रहे हैं। राज्य के सिंचाई क्षमता व संसाधनों के मध्य के अन्तर को कम करने हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन किया जायेगा जो वर्तमान क्षमता के अधिकतम प्रयोग तथा प्रबन्धन का भी अध्ययन कर कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा। जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बैजनाथ झील निर्माणाधीन है। झील के निर्मित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं सिंचाई सुविधा में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

वर्ष 2015–16 में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ निर्माण कार्यों हेतु ` 1009.67 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पेयजल :

उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल

सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पेयजल सुधार हेतु सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश में राजीव गांधी सर्वेक्षण 2003 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 39967 बस्तियाँ हैं, जिनमें 787 बस्तियाँ गैर आबाद है। शेष 39180 आबाद बस्तियों में से दिनांक 31–03–2014 तक 32391 बस्तियों को पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित लिया जा चुका है। अवशेष आबाद 6789 बस्तियों में से वर्ष 2014–15 में 1056 बस्तियों को संतृप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। पुरानी पाईप लाईन को बदलने की जारी योजनाओं को और प्रभावी व सशक्त बनाया जायेगा। 703 हैण्ड पम्पों की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 379 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्वार किया गया। ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता के अन्तर्गत 29243 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया।

वर्ष 2015–16 में पेयजल हेतु ` 407.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवं सेतु :

किसी भी प्रदेश के चहुमुखी विकास में अवस्थापना सुविधाओं विशेषकर मोटर मार्गों का बड़ा योगदान होता है। उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़कें राज्य के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण/आधारभूत आवश्यकता है, जिसे प्रदेश के विकास की जीवन–रेखा भी कहा जाता है। राज्य में मोटर मार्गों/सेतुओं के उच्चस्तरीय विकास हेतु राज्य सरकार तत्पर एवं दृढ़ संकल्प है, इसी उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2014–15, में माह नवम्बर तक 1953 किमी0 लम्बाई मे मोटर मार्गों का निर्माण/पुनर्निर्माण तथा 67 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियुक्त राज्य होने के कारण प्रदेश में विगत वर्षों से प्राकृतिक आपदायें तथा बाढ़ व भूस्खलन की घटनायें

निरन्तर बढ़ रही हैं, जिससे जहॉ एक ओर राज्य की परिसम्पत्तियों को व्यापक क्षति पहुॅची है, वहीं दूसरी ओर सड़क संचार व्यवस्थायें भी प्रभावित रही हैं, किन्तु लोक निर्माण विभाग की सजगता एवं तत्परता से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुननिर्माण तथा यातायात सुलभ कराये जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2014 की वर्षाऋतु में प्रदेश की कुल 1363 बन्द सड़कों में से वर्तमान अवधि तक 1361 सड़कों को यातायात हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2014 में पर्वतीय जनपदों यथाः—जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, रूद्रप्रयाग उत्तरकाशी तथा देहरादून के चकराता क्षेत्र में भारी हिमपात के कारण भी 131 सड़कें यातायात हेतु अवरूद्ध हो गई थी, जिसमें से 130 मार्ग वर्तमान में यातायात हेतु खोले जा चुके हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (यू0एस0आर0आई0पी0) के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश में मोटर मार्गों के सुधार हेतु कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सरकार प्रदेश

में राष्ट्रीय राजमार्गों के उच्चस्तरीय विकास के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के अन्तर्गत डाटकाली मन्दिर के समीप दो लेन टनल के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करने के उपरान्त टनल निर्माण का कार्य माह मई, 2015 से प्रारम्भ कर लिये जाने की सम्भावना है। स्वीकृत टनल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रदेश की जनता एवं अन्य प्रदेशों के यात्रियों को सहारनपुर मार्ग से आवागमन से सुविधा प्राप्त हो सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 में नेपाली फार्म से ऋषिकेश तक 8 किमी0 लम्बाई में मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है, जिसमें हरिद्वार से ऋषिकेश तक यातायात सुविधाजनक होगा। अल्मोड़ा में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु सुरंग का निर्माण किया जायेगा जिससे शहर को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों, उप नदियों के कैचमेन्ट क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण

किया जायेगा जिससे नये आर्थिक विकास क्षेत्र स्थापित किये जा सकेंगे।

वर्ष 2015–16 में सड़क एवं सेतु हेतु ` 1549.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास :

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् राज्य की विकास दर में तीव्र वृद्धि होने से यह प्रदेश देश के उच्च विकास दर करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्यों में सम्मिलित हुआ है और इसमें तीव्र औद्योगिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2003 में राज्य के लिए स्वीकृत विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज का समुचित लाभ प्राप्त करने एवं राज्य में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने में राज्य सरकार की मैत्रीपूर्ण नीतियों एवं उच्च स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सतत् विकास से विशेष सफलता मिली है।

सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम देश एवं प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में

लघु पूंजी निवेश से भी अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित होते हैं एवं राज्य के समावेशी विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का एक पृथक विभाग सृजित किया गया।

सूक्ष्म, लघु उद्यमों द्वारा परस्पर क्रय–विक्रय की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ''उत्तराखण्ड राज्य सुकारता परिषद्'' का गठन किया गया है। सुकरता परिषद् में अब तक 90 इकाईयों के वाद दायर हुये हैं, जिनमें से 6 वादों का निपटारा आपसी सहमति से तथा 28 मामलों में अवार्ड पारित किया गया है। उद्यमियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु उद्यमी ज्ञापन भाग–1 एवं उद्यमी ज्ञापन भाग–2 फाईल करने की ऑन लाइन व्यवस्था लागू की गई है। उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुज्ञापन आदि के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक–2012

पारित किया गया है, जिसमें प्रभावी कियान्वयन हेतु वेबबेस्ड ऑन लाइन आवेदन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु नई ''सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम नीति'' प्रस्तावित की गई है, जिसके अन्तर्गत पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अनुमन्य सुविधाओं एवं वित्तीय प्रोत्साहनों को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इस क्रम में सरकार द्वारा 25 लघु उद्योग क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। उत्तराखण्ड एक महत्वपूर्ण पर्यटन राज्य है। जहाँ वर्षभर देश–विदेश से पर्यटक आते हैं। स्थानीय एवं परम्परागत शिल्पों पर आधारित सोविनियर उत्पादों के विकास के लिये उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् द्वारा देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (एन0आई0डी0) अहमदाबाद के साथ एक परियोजना संचालित की जा रही है। डिजाईनर्स द्वारा विभिन्न वर्कशॉप में तैयार किये गये उत्पादों को भारत अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में प्रदर्शित किया

गया था, जहॉ इन्हें अच्छा रिस्पॉस मिला है। कण्डाली घास व बाबुला से बने उत्पादों के निर्माण हेतु नई योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसके अन्तर्गत ऐसे उत्पादों का निर्माण करने वाले स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा। वित्त पोषित ब्याज उपादान योजना में उद्यमी को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ` 2.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध करया जाता था। राज्य सरकार द्वारा ऋण सीमा ` 2.00 लाख से बढ़ाकर ` 5.00 लाख कर दी गई है। उद्यमियों की सुविधा हेतु ब्याज अनुदान के रूप में प्राप्त ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी को वहन करना पड़ता है तथा अवशेष बैंक ब्याज अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक उद्यमियों के पक्ष में विभाग द्वारा अनुमन्य कराया जाता है। सरकार नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की दिशा में भी प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने भूमि बैंक की अवधारणा को साकार रूप देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। कई जनपदों में भूमि बैंक चिन्हित कर लिये गये हैं। उक्त भूमि बैंकों में उद्योगों की

स्थापना से रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएँ सृजित होंगी।

वर्ष 2015–16 में औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए लगभग `101.14 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आवास एवं शहरी विकास :

शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत सरकार द्वारा नियोजित विकास कार्य कर रही है। राज्य में एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, रूड़की एवं आसपास के 75 ग्रामों को हरिद्वार विकास प्राधिकरण में सम्मिलित करते हुए हरिद्वार, रूड़की विकास प्राधिकरण तथा चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण एवं अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया को शामिल करते हुए गैरसैंण एवं अल्मोड़ा विकास परिषद का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त घाड़ विकास क्षेत्र जनपद हरिद्वार के गठन की कार्यवाही गतिमान है। राज्य में नजूल भूमि सम्बन्धी नीति को और

अधिक आकर्षक बनाया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिये छोटे–छोटे नगर क्षेत्र का विकास स्थल चयन समिति का गठन भी कर लिया गया है। आई.एस.बी.टी. के निकट मसूरी–हरिद्वार प्राधिकरण द्वारा आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा रहा है।

मलिन बस्तियों में आवास सम्बन्धी सुविधाओं के विकास व रोजगार सृजन तथा जीवन स्तर सुधार हेतु शहरी गरीब आजीविका सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में आय के साधनों को बढ़ाने के लिए नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले सुधार कार्यक्रमों को सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसी क्रम में नगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं की परिसम्पत्तियों का सृजन किया जायेगा। जिससे उन्हें एक निश्चित आय प्राप्त हो सकेगी। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों हेतु चिकित्सकीय बीमा योजना लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार नया दून को एकीकृत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अपनी परिकल्पना को साकार करने को कटिबद्ध है। इस दिशा

में एक कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी। छोटे शहरों में गन्दा पानी, कूड़ा, सीवर आदि समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु एक कार्य योजना प्रस्तुत की जायेगी। शहरों के श्मशान घाटों का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा तथा विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना की जायेगी। देहरादून–ऋषिकेश–हरिद्वार, रूद्रपुर–लालकुआं–किच्छा, हल्द्वानी–काठगोदाम के मध्य मैट्रो समान योजना की उपयोगिता अध्ययन हेतु एक कार्य समूह का गठन किया जायेगा।

वर्ष 2015–16 में आवास एवं शहरी विकास हेतु ` 496.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण :

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं एवं निःशक्तजनों को पेंशन, अनुसूचित जाति की निर्धन परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक

सहायता, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बालिकाओं को गौरादेवी कन्याधन से लाभान्वित करना एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है इसी क्रम में मानसिक रूप से विक्षिप्त, अस्वस्थ व्यक्ति के पति/पत्नी को पोषक भत्ता दिये जाने की सरकार की योजना है।

समाज के कमजोर वर्गो का उत्थान करना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। मेरी सरकार भी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रदेश स्तर पर पृथक 'निदेशालय जनजाति कल्याण' की स्थापना की गई है। इससे यह आशा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हो सकेगा। अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण

भूमिका है। इस सम्बन्ध पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना राज्य में संचालित है। वर्ष 2014–15 में माह नवम्बर, 2014 तक पूर्व दशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल 6984 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करते हुए ` 151.26 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल 13512 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करते हुए ` 1248.37 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में अभिरूचि विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें अपने परिवार के परम्परागत जीवन से दूर रखकर आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। इन आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र की सुविधाए निशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रदेश में 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। भोजन व्यवस्था ई टेण्डरिंग के माध्यम से चयनित फर्मो द्वारा की जा रही है। राजकीय आश्रम पद्धति

विद्यालयों में 2112 छात्र/छात्रायें अध्यनरत है। 13 विद्यालयों के भवन निर्माण किया जा चुका है। आश्रम पद्धति विद्यालयों को शिक्षा स्तर सुधारने के लिए एकमुश्त विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा व इनकों सामान्य शिक्षा पद्धति के स्तर पर लाया जायेगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, अनाथालयों की स्थिति में सुधार किया जायेगा एवं संवासिनियों को रोजगार परक प्रशिक्षण तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जायेगी। अनुसूचित जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए जाने हेतु 03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकराता, खटीमा एवं गूलरभोज में संचालन किया जा रहा हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में सरकार द्वारा मूक बधिरों हेतु एक विद्यालय तथा गढ़वाल तथा कुमाऊँ मण्डलों में एक–एक वाल्मिकी आवासीय स्कूल खोले जायेंगे।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिकतर योजनायें अनुदानित हैं जिससे समाज के निर्धन असहाय एवं गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम व अल्पसंख्यक

वित्त विकास निगम की कार्यशील अंशपूँजी को बढ़ाया जायेगा।

उत्तराखण्ड सरकार के अधीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गयी है, जो अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए बचनबद्ध है। विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल डेवलमेन्ट योजना, आदि संचालित है। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऋण, अनुदान एवं मार्जिन मनी की सुविधा, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, अल्पसंख्यक शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौशल वृद्धि योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मदरसों में दीनी तालीम के अलावा आधुनिक विषयों की शिक्षा यथा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि के प्रोत्साहन हेतु शिक्षकों को मानदेय दिया जाने की व्यवस्था है। सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए पूर्णतया सजग है। इस क्रम में हमारी प्राथमिकता है कि

उनकी शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय। इसके अन्तर्गत ऐसे स्कूलों में जो ऊर्दू भाषा विषय को प्रारम्भ करना चाहते हैं या वहां के कम से कम 20 छात्र ऊर्दू पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं, वहां ऊर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। यह भी महसूस किया जा रहा है कि वर्तमान कब्रिस्तानों की स्थिति में और सुधार की आवश्यकता है। इस हेतु उनकी चहरदीवारी निर्माण की योजना को विस्तारित किया जायेगा।

समाज कल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2015–16 में ` 1259.73 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत ` 1282.74 करोड़ व अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ` 354.37 करोड़ का प्रावधान है।

सैनिक कल्याण :

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा एवं आदि के प्रति अपने बहुमूल्य योगदान एवं बलिदान देने वाले राज्य के 16 प्रतिशत जनसंख्या के रूप में सैनिकों, शहीदों तथा उनके आश्रितों का सामाजिक, आर्थिक कल्याण एवं पुनर्वास और शैक्षिक विकास करके उन्हें देश सेवा के लिये अभिप्रेरित करने के उदेदश्य से हमारी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुर्नयोजन करना इस विभाग के उद्देश्यों में सम्मिलित है। राज्य द्वारा अर्धसैनिक बलों को सैनिक बलों की भॉति समस्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी तथा सी0आर0पी0एफ0 बी0एस0एफ0 को राज्य द्वारा दिये जाने वाली छूटों को पूर्व सैनिकों/पूर्व अर्धसैनिकों व अर्धसैनिक बलों को प्रदान किया जायेगा। दून में सैनिक स्कूल की स्थापना का कार्य गतिमान है। जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त क्षेत्र में दूसरा सैनिक स्कूल खोलने की पहल की जायेगी। राज्य के नवयुवकों को सैन्य/ अर्द्धसैन्य बलों में

भर्ती हेतु उत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में भर्ती पूर्व कोचिंग चलाई जायेगी।

सैनिक कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल ` 32.59 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण तथा बाल विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 13 जनपदों के अन्तर्गत 95 विकासखण्डों एवं 8 शहरी क्षेत्रों में बाल विकास परियोजनायें संचालित है। राज्य सरकार आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम की ऑन लाइन मॉनिटरिंग करने की दिशा में प्रयासरत है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के 14947 आंगनबाड़ी केन्दों एवं 5120 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री स्कूल किट एवं मेडिसन

किट, तथा 35014 कार्यकर्ताओं को ड्रेस दिये जाने का लक्ष्य है। आगनवाड़ी आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं के लिए अंशदायी बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी तथा सेवाकाल के उपरान्त इनके वित्त पोषण हेतु एक कोष की स्थापना की जायेगी। विभिन्न विभागों को उनके रिक्त पदों में योग्यता के आधार पर नियुक्ति हेतु 15 प्रतिशत अधिमान प्रदान करने के निर्देश जारी किये जायेंगे। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 'गर्भवती महिला सेवा योजना' को व्यापक रूप से लागू किया जायेगा एवं परित्यक्ता व विधावाओं को इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। 'किशोरी शक्ति योजना', 'मातृत्व सहयोग योजना' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य वित्त पोषण प्रदान किया जायेगा तथा मुख्यमंत्री सतत् आजीविका योजना, निर्भया योजना के लिए वित्त पोषण गत वर्षों की तुलना में दुगुना किया जायेगा। एसिड आक्रमण पीड़ित महिलाओं को राज्य सरकार 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इन्दिरा प्रिय दर्शनी कामकाजी महिला योजना अन्तर्गत महिलाओं को

स्व व्यवसाय से जोड़ने तथा विभिन्न महिला कार्यक्रमों में समन्वय हेतु इन्दिरा प्रिय दर्शनी मण्डलों का गठन किया जायेगा।

वर्ष 2015–16 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हेतु ` 705.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जलागम प्रबन्धन :

जलागम प्रबन्धन योजनाओं का मूल उदेश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पतिक संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। परियोजना कार्यक्रमों से जहाँ एक और प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबंधन में सहायता मिलती है वही दूसरी और जल एव मृदा का संरक्षण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं ग्रामीणों की आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते है।

प्रदेश मे आपदा प्रभावित जनपदों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 1002.73 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र के उपचार हेतु विशेष जलागम विकास की

` 150.41 करोड़ लागत की 7 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 4729 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र हेतु ` 684.08 करोड़ लागत की 78 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 192 सूक्ष्म जलागमों के 3378 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे।

विश्व बैंक पोषित योजना ग्राम्या के सफलता पूर्वक संचालन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना के द्वितीय चरण हेतु 170 मिलियन अमेरिकी डालर की धनराशि स्वीकृत हुई है। यह योजना 15 जुलाई, 2014 से प्रभावी हुई है। सात वर्षीय योजना 2021 में पूर्ण होगी। उक्त के अतिरिक्त इन्टरनेशनल फंड फार एग्ररीकल्चर डेप्लेपमेंट वित्त पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना फेज–2 के सहभागी जलागम विकास कार्यों को सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है। सरकार द्वारा वर्षा जल एवं नदियों के जल संरक्षण करने

पर बोनस देने की योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु जलागम विभाग हेतु कुल ` 27.01 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

वन एवं पर्यावरण :

उत्तराखण्ड के शीर्ष पर स्थित हिमायल पर्वत माला उत्तर भारत का जल स्तम्भ है, जिस पर देश की लगभग 50 करोड़ जनसंख्या की आर्थिकी एवं जीवन यापन निर्भर है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 23.41 प्रतिशत वनों के सापेक्ष उत्तराखण्ड में भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष 71.05 प्रतिशत वन क्षेत्र है। देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के हित में यहाँ के वनों एवं जैव विविधता को संरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तराखण्ड को अपने वनों की संरक्षित करने में स्थानीय जनता की असुविधाओं के साथ–साथ राजस्व की भी भारी हानि वहन करनी पड़ती है जिस कारण प्रदेश के विकास में वित्तीय संसाधनों की

कमी हो रही है। वन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गयी है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार प्रकाशित विवरण के अनुसार उत्तराखण्ड में वर्ष 2011 की तुलना में 12 वर्ग कि0मी0 वनावरण में वृद्धि हुई। गत वर्षों में यह अनुभव रहा है कि वनाग्नि से वन सम्पदा को प्रत्येक वर्ष अत्यधिक हानि पहुॅचती है। इसके दृष्टिगत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वन विभाग प्रत्येक 6 माह सूखी एवं गिरी हुई लकड़ी का आकलन कर वन निगम को सौंपेगा। वर्ष 2014–15 से जापान सरकार द्वारा पोषित उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका पोषित) प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में मुख्य रूप से वन पंचायत क्षेत्रों एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भू–स्खलन/वन मार्गों पर कार्य किये जाने है। प्रदेश मे वानिकी कार्यों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के उद्देश्य से ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 06 कम्पनियां कार्यरत है। इन कम्पनियों के द्वारा देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, तथा पिथौरागढ़ जनपदों के

दुर्गम एवं दूरस्थ स्थलों में वनीकरण कार्य किया जा रहा है, जिससे भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल रहा है। भविष्य में इको–टास्क फोर्स में गौरिल्ला को भी सम्मिलित किया जायेगा। वनीकरण में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु जनसामान्य को प्रोत्साहित किया जायेगा। वन विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में ''हमारा पेड़ हमारा धन योजना'' प्रारम्भ की गयी है। ''हल्द्वानी में एक हजार एकड़ वन भूमि में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जू निर्माण'' के संबंध में कार्यवाही गतिमान है। जैव विविधता संरक्षण एवं वन विभाग के अतिरिक्त आय स्रोतों के विकास हेतु प्रत्येक जिले में ''ईको पार्क'' तथा ईको ग्राम समूह स्थापित किये जायेंगे तथा ईको–ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने हेतु वन विभाग के अतिथि गृहों को आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा। वन विकास निगम को और सशक्त बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत समस्त

खनन प्रक्रिया को खुली निविदा प्रणाली के आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वन एवं पर्यावरण हेतु कुल ` 626.58 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कृषि :

प्रदेश की भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि के क्षेत्र में लगातार किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र का आकार घटा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध कृषि क्षेत्र को नियोजित करते हुए प्रति इकाई कृषि उत्पादन प्राप्त करने के हर सम्भव प्रयास किये जाये। जैसे कलस्टर आधारित कृषि तथा हिल एग्रीकल्चर को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अन्तर्गत धान, गेहूँ एवं कदन्न

फसलों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। (एन.एफ.एस.एम) (धान) के अन्तर्गत 5 जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, (एन.एफ.एस.एम.)–(गेहूँ) के अन्तर्गत 9 जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर तथा (एन.एफ.एस.एम.) (कदन्न) फसलों के अन्तर्गत 4 जनपद पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा तथा ऊधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य सभी जनपद, (एन.एफ.एस.एम.) (दाल) के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं। भारत सरकार की परिवर्तित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत विभाग की कई पुरानी योजनाओं को नाम में परिर्वतन करते हुए नई योजना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गई। इस योजना का उ्ददेश्य कृषि कार्यों, विशेष रूप से आत्मा परियोजना का सुदृढ़ीकरण एवं अधिक प्रभावशाली बनाना है। जैविक मडुवा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिलों में वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 तक

के लिए योजना लागू की गयी है। मडुवा उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु मडुवा उत्पादकों का पंजीकरण उनकों बोनस प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार अनारदाना, चौलाई व फाफर जैसे आहार उत्पादन पर भी सरकार द्वारा बोनस दिये जाने की योजना है। कृषि की नाप भूमि में चीड़ के पेड़ों को काटने की अनुमाति सरकार द्वारा प्राप्त की जा रही है। कृषि के लिए जंगली जानवर खतरा बनते जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु परियोजनायें तैयार की जा रही है। कृषकों को प्राकृतिक आपदा तथा फसल नष्ट होने की स्थिति में बीमा की सुविधा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2014 में धान तथा मंडुवे की फसल तथा रबी के अन्तर्गत गेहूँ की फसल के लिए बीमा की सुविधा है। गत वर्ष 2013–14 में योजना के अन्तर्गत 4300 किसानों का 32061 है0 क्षेत्रफल लाभान्वित हुआ है। राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णायानुसार गेहूँ की फसल पर कृषि निदेशक

की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर रबी 2014–15 में गेहूँ की फसल पर समस्त जनपदों में बीमा सुविधा पाँच क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। कृषि क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कार्यों में दी जाने वाली सब्सिडी में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। प्रदेश में मृदा उर्वरता के स्तर को बनाये रखने हेतु तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। शीघ्र ही सरकार की मोबाइल मृदा परीक्षण कीट नियंत्रण की सुविधा प्रारम्भ करने की योजना है। अब तक कृषकों को कुल 4.08 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। किसान पोर्टल के अन्तर्गत 189910 किसान पंजीकृत है जिन्हें समय–समय पर कृषि से सम्बन्धित सलाह मोबाइल फोन पर एस0एम0एस0 के माध्यम से भेजी जाती हैं। एस0एम0एस0 द्वारा 498970 किसान लाभान्वित हुए हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित 92 गाँवों में

अनुसूचित/जनजाति विकास कार्यक्रम योजना लागू की गई है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि हेतु कुल

482.69 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग :

भौगोलिक दृष्टि से राज्य के चार जनपदों क्रमशः ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में गन्ने की खेती की जाती हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर में 5, हरिद्वार जनपद में 3 एवं देहरादून जनपद में 1 चीनी मिल कुल 09 चीनी मिलें अवस्थित है। इन 09 चीनी मिलों में 4 सहकारी क्षेत्र में 3 निजी क्षेत्र में एवं 2 सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र में है। वर्ष 2013–14 में इन चीनी मिलों द्वारा 322.17 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कर 28.77 लाख कुन्तल नेट चीनी का उत्पादन किया। वर्ष 2014–15 हेतु गन्ना कृषकों को शीघ्र प्रजाति के गन्ने का

मूल्य 290.00 ` प्रति कु0 एवं सामान्य प्रजाति का मूल्य ` 280.00 प्रति कुन्तल की दर से घोषित किया गया है। गन्ना किसानों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सप्लाई पर्चियों का निर्गमन, गन्ना मूल्य का भुगतान आदि कार्य किया जा रहा है। किसानों की गन्ना मूल्य भुगतान में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक फण्ड की स्थापना की जायेगी तथा बीज बदल का एक व्यापक कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। घटतौली रोकने हेतु अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को तोलकारों की जाँच हेतु अधिकृत किया गया है। विभाग चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु प्रयासरत है तथा चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु अन्य संसाधन (यथा विद्युत उत्पादन, डिस्टलरी आदि) बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों हेतु नागरिक चार्टर लागू किया गया है। मुख्यालय स्तर पर सभी कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किये जा रहे है। सभी गन्ना समितियों में कम्प्यूटराईज कार्य किया जा रहा है। चीनी मिलों के मिल गेट पर कम्प्यूटराईज तौल कॉटे

स्थापित हैं तथा सभी गन्ना तौल केन्द्रों में कम्प्यूटराईज वेब्रिज लगाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग हेतु कुल ` 16.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

औद्यानिकी :

उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल 6315.50 हजार हैक्टर में लगभग 781.29 हजार हैक्टर भू–भाग कृषि के अन्तर्गत है। फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि का 38.70 प्रतिशत आच्छादित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु को देखते हुए कृषि योग्य का अधिकतम लाभकारी उपयोग औद्यानिक फसलों से ही सम्भव है। औद्यानिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिये विभाग द्वारा अनेक योजनाओं क्रियान्वित की जा रही हैं। फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना अन्तर्गत राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों पर प्रति वर्ष लगभग 8000 व्यक्तियों/गृहणियों को

फल/सब्जी के संरक्षण विधि में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा राज्य में स्थापित 48 विभिन्न सामुदायिक केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लगभग 5000 कुन्तल फल/सब्जी उत्पादों को प्रसंस्कृत कर गृह उपयोगार्थ तैयार कर उन्हें उपलब्ध करायें जाते हैं। अनुसूचित जाति क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में नये उद्यानों की स्थापना एवं आलू विकास कार्यक्रम आदि किया जाता है। उद्यानों की घेरबाड़ हेतु 50 प्रतिशत राज सहायता अन्तर्गत अधिकतम ` 33300 प्रति हैक्टर की दर से कृषकों को प्रदान की जाती है। राज्य में अखरोट उत्पादन की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत अच्छी प्रजाति के अखरोट के वृक्षों के रोपण पर पंचायतों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा वन पंचायतों के माध्यम से भी अखरोट के वृक्षों के सामुदायिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। शहरों की भॉति ग्रामीण स्तर पर भी मशरूम उत्पादन आय का स्रोत बन चुका है। मशरूम उत्पादन लद्यु एवं सीमान्त कृषकों तथा पिछड़ी जातियों एवं भूमिहीन

किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी योजना है। इस योजना में किसानों को राज सहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किये जाता है, तथा मशरूम उत्पादन आदि का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राज्य के कृषकों की सेब फसलों को विभिन्न प्राकृतिक कारणों से होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु राज्य में सेब आम, लीची, अदरक, आलू, टमाटर आदि फसलों हेतु फसल बीमा योजना लागू है। अब तक लगभग 32277 व्यक्तियों को फसल बीमा के तहत आच्छादित किया गया है। चारा प्रजाति एवं सिट्रस प्रजाति पर प्रति वृक्ष सहायता देने हेतु प्राविधान किया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिकी फसलों से कम क्षेत्र में अधिक पैदावार हेतु कृषकों के प्रेक्षत्रों में पालीहाउस के अन्दर पुष्प व सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य में मसाला बोर्ड, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से दो मसाला पार्क की स्थापना किये जाने के निर्णय के क्रम में दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 को सितारगंज (ऊधमसिंह

नगर) में एक मसाला पार्क की स्थापना का शिलान्यास किया गया तथा दूसरे मसाला पार्क की स्थापना जनपद, देहरादून के ग्राम शंकरपुर–हुकुमतपुर, देहरादून में स्थान का चयन कर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तराखण्ड की जलवायु उच्च गुणवत्त्ता युक्त चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है, अतः इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015–16 में 120 हैक्टेयर क्षेत्र में नया चाय बागान स्थापित करने का लक्ष्य है। बोर्ड द्वारा राज्य में 120 हैक्टेयर क्षेत्र में नया प्लान्टेशन, 34.00 लाख पौध की नई नर्सरी, 5.10 लाख किग्रा0 हरी पत्ती उत्पादन, 2.50 लाख हरी पत्तियों की फैक्ट्री को बिक्री एवं 0.60 लाख किग्रा0 चाय निर्मित व बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में औद्यानिकी विभाग हेतु कुल ` 195.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

कृषि के साथ पशुपालन भी राज्य के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन विभाग का 5 प्रतिशत से अधिक योगदान है। प्रवेश की कुल 48 लाख पशुसम्पदा व 46 लाख कुक्कुट सम्पदा को रोग मुक्त तथा नियंत्रण हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करने एवं नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराने, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों एवं राज्यवासियों को पशुधन उत्पादन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त, भूमिहीन व निर्बल वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के साथ उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

विभाग द्वारा राज्य में कुशल प्रशासन उपलब्ध कराने हेतु ब्लाक/जनपद/राज्य मुख्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

डेरी विकास विभाग के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से स्वरोजगार के

साधन उपलब्ध कराना, दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न तकनीकी निवेश सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा नगरीय उपभोक्ताओं हेतु उचित दर पर स्वच्छ दूध एवं दुग्ध पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रदेश में अब तक 3807 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं, जिनसे 1.49 लाख दुग्ध उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे है। दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 1.42 लाख लीटर दूध संग्रह किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष लगभग ` 8.00 करोड़ प्रतिमाह का दूध मूल्य भुगतान दुग्ध उत्पादकों को किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में पर्वतीय क्षेत्र के दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को ` 3.00 प्रतिलीटर तथा मैदानी क्षेत्र के दुग्ध सदस्यों को ` 2.00 प्रतिलीटर की दर से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि, महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों कों 01 संकर नस्ल की दुधारू गाय उपलब्ध कराये जाने हेतु बैंक ऋण व अनुदान तथा विभिन्न दुग्ध संघों में

प्रबंधकीय एवं यातायात अनुदान उपलब्ध कराया गया है। सरकार द्वारा महिला डेयरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशुद्ध महिला डेयरी हेतु उपादान को रु0 4 से बढ़ाकर रु0 6 किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। सरकार द्वारा दुग्ध समितियों को चिलिंग प्लान्ट लगाने हेतु एकमुश्त अनुदान तथा दुग्ध संघ द्वारा बैंक से लिये गये ऋण में देय ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में मत्स्य पालन की दृष्टि से मूल्यवान जल सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु विगत वर्षो में जनता की आंकाक्षायें प्रबलता से बढ़ी हैं। सरकार द्वारा मत्स्य नियमावली लागू की गयी है, जिससे मत्स्य पालन हेतु अधिकतर जलस्रोत मत्स्य पालन हेतु उपयोग में लाया जा सके ।

टिहरी जलाशय की मत्स्य प्रबन्ध व्यवस्था हेतु शासनादेश जारी हुआ है। विभागीय प्रबन्धान्तर्गत झीलों

से देशी एवं विदेशी पर्यटकों को मत्स्य आखेट हेतु लगभग 916 ऐग्लिंग लाइसेन्स निर्गत किये गये।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु कुल ` 198.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सहकारिता :

सहकारिता विभाग के संगठन का दृष्टिकोण राज्य के विभिन्न अंचलों के निर्बल वर्गो को समृद्वशाली बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। विभाग के अन्तर्गत 10 जिला सहकारी बैंक, 759 पैक्स, एवं 4 शीर्ष सहकारी संस्थाए कार्यरत है। विभिन्न जनपदो में स्थापित जिला सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एंव दीर्धकालीन ऋणों का वितरण किया रहा है। सरकार जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सशक्त करने की दिशा में उनकी जमा पूॅजी को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगी। प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण वितरण, खाद,

बीज वितरण, कीटनाशक रसायन व दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को कराई जा रही है। सहकारिता विभाग द्वारा उर्वरक आपूर्ति पर राज सहायता, पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेप के लिये निक्षेप गारंटी योजना, सहकारिता सहभागिता योजना, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना आदि संचालित की जा रही है।

वर्तमान में जनपद–नैनीताल, उधमसिंह नगर पौड़ी, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग चम्पावत एवं उत्तरकाशी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहकारिता विभाग हेतु कुल ` 41.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के जनमानस को सबके लिए स्वास्थ्य के मिशन को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा राज्य की जनता के समग्र स्वास्थ्य रक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने

के लिए प्रतिबद्ध एवं सत्त रूप से प्रयासरत है। राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या किये जाने हेतु प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर तथा तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापरक, कमजोर वर्गों तक पहुँच, सरल एवं प्रभावी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में चिकित्सकों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिस हेतु चिकित्सकों के राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में ठहरने/आवासीय व्यवस्था हेतु ट्राजिट हास्टल का निर्माण किया जा रहा है साथ ही सरकार द्वारा पारदर्शी स्थानान्तरण नीति माह सितम्बर, 2014 से लागू की गयी है। प्रत्येक मंगलवार को वाक इन इन्टरव्यू के तहत संविदा पर एलोपैथिक चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है। राज्य सरकार सभी चिकित्सा इकाईयों को सरकारी भवनों में क्रियाशील करने हेतु कृत संकल्प है, इस हेतु जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बेस चिकित्सालय सोमेश्वर, जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर में बेस चिकित्सालय की स्थापना, जनपद बागेश्वर में बेस चिकित्सालय बागेश्वर की स्थापना,

जनपद पिथौरागढ़ में नवचयनित स्थल ग्रामी लंठ्ठूडा में बेस चिकित्सालय की स्थापना, जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकरौता के स्थान त्यूनी में 100 शैय्या युक्त चिकित्सालय की स्थापना आदि का कार्य गतिमान है। राज्य में सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा–परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पुनरीक्षण क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि का सफलता पूर्वक संचालित किया गया है। राज्य में क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों की निःशुल्क जॉच एवं डाट्स उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने के कारण रोगियों के ठीक होने की दर 83 प्रतिशत से भी अधिक है। एम0डी0आर0 (मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट) रोगियों हेतु **''डाट्स प्लस कार्यक्रम''** चलाया जा रहा है। राज्य में एच0आई0वी0 मुक्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुल 27 लाईसेंन्स प्राप्त रक्त कोष क्रियाशील है। हल्द्वानी में कैंसर यूनिट को उच्चीकृत करने के लिए पी0पी0पी0 मॉडल में विचार

किया जायेगा। देहरादून, हल्द्वानी व पिथौरागढ़ में फिजिओथेरैपी व पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जायेगे। राज्य स्तर पर राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ का गठन किया जा चुका है। जिसमें संयुक्त निदेशक (राज्य नोडल अधिकारी) है एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य विधि सलाहकार एवं एक्जीक्यूटिव असिस्टेंन्ट की नियुक्ति की जा चुकी है। राज्य के सभी जनपदों में जनपद स्तर पर जिला पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ का गठन किया जा चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताई गई सम्पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार आयुष चिकित्सा पद्धति रोगी को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ्य करती है। आयुष चिकित्सा पद्धति सामान्य रोगों के उपचार में कम खर्चीली तथा अधिक प्रभावी है। आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिये उत्तराखण्ड, सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। जिससे राज्य के सभी नागरिकों को सस्ती एवं सुलभ दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित कर रही है।

आयुर्वेदिक कालेजों हेतु स्थान चयनित कर शीघ्र ही उनकी स्थापना की जायेगी। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग हेतु कुल ` 1401.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा :

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों की कमी को दूर करने हेतु मेडिकल कालेजों/नर्सिंग कालेजों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में स्थापित है। देहरादून एवं अल्मोड़ा के मेडिकल कालेजों के निर्माण एवं स्थापना हेतु कार्य प्रारम्भ हो चुका है व ए0एन0एम0 कालेज खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना हो चुकी है।

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में कार्य त्वरित गति से प्रारम्भ कर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु कुल ` 268.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा :

राज्य में बच्चों की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा हेतु राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अशासकीय विद्यालय भी संचालित हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन दर 101.64 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 93.53 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 86.62 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर शत प्रतिशत करने एवं माध्यमिक स्तर पर इसमें वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य की विशिष्ट–भौगोलिक व अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत एक ओर काफी संख्या में विद्यालयों की स्थापना तथा दूसरी ओर वर्तमान विद्यालयों

का उच्चीकरण किया है इन उच्चीकृत विद्यालयों में शीघ्रता शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार द्वारा अनेक अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया है व कुछ अशासकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा के साथ–साथ अब राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी में दक्षता हेतु प्रयास प्रारम्भ किया है, एवं साथ ही व्यवसायिक शिक्षा के लिए भी योजना चलायी गयी है। कक्ष 9 से उच्च कक्षाओं में अर्न वाईल यू लर्न योजना प्रारम्भ की जायेगी। सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर में और अधिक वृद्धि करने हेतु ब्लाक स्तर पर आवासीय राजीव गॉधी अभिनव विद्यालय की स्थापना की जाएगी तथा राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए ब्लाक स्तर पर अतिथि अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु कुल ` 4902.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उच्च शिक्षा :

राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसमें असेवित एवं पिछड़े क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, रोजगार परक पाठ्यक्रमों, मॉडल महाविद्यालयों में स्तरीय उच्च शिक्षा व्यवस्था, अध्ययन–अध्यापन के साथ–साथ कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था निर्बल वर्ग के मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, एन0सी0सी0 तथा रोवर रेंजर्स आदि सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

राज्य की भौगोलिक संरचना के अनुसार महाविद्यालयों में परम्परागत विषयों के साथ–साथ रोजगार परक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम यू0जी0सी0 के सौजन्य से संचालित किए जा रहे हैं।

मा0 मुख्यमंत्री जी की पूर्व वर्ष की घोषणा के अनुरूप सरकार कुमाऊँ एवं गढ़वाली भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु कटिबद्ध है। इस सन्दर्भ में दून विश्वविद्यालय तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में स्कूल आफ लोकल लैंग्वेज स्थापित किया

जायेगा। अल्मोड़ा परिसर को भविष्य में विश्व विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की भी योजना है।

प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जा रहा है और साथ' ही साथ कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कैंसर रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है तथा दून विश्वविद्यालय को जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय (जे0एन0यू0) तर्ज पर विकसित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा रोजगार परक आत्मविश्वास विकसित किये जाने हेतु प्रोजेक्ट उत्कर्ष आरम्भ किया जायेगा जिसमें चयनित महाविद्यालयों में नियमित कक्षाओं के पश्चात फक्शनल इंग्लिश एवं व्यक्तित्व विकास अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शैक्षणिक पलायन को रोकने तथा पर्वतीय क्षेत्रों को शैक्षिक हब के रूप में विकसित करने एवं निजी पूँजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु

निर्धारित नीतियों में शिथिलीकरण किया गया है तथा इन्हें सीमित वित्त पोषण की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में उच्च शिक्षा विभाग हेतु कुल ` 396.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण :

वर्तमान में राज्य में 118 डिप्लोमा स्तरीय राजकीय एवं निजी क्षेत्र की पालिटेक्निक संस्थायें, जिनमें त्रिवर्षीय/दिवर्षीय लगभग 24 पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें छात्र/छात्राओं की कुल प्रवेश क्षमता 26760 है। समस्त पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विकेन्द्रीकृत कम्प्यूटर आधारित काउन्सिलिंग का आयोजन किया जाता है। विकेन्द्रीकृत कम्प्यूटर आधारित काउन्सिलिंग के आयोजन के फलस्वरूप राज्य के दूर–दराज के अभ्यर्थी अपने निकटनम स्थित पालीटेक्निकों में निःशुल्क काउन्सिलिंग सुविधा प्राप्त कर अपने धन एवं समय की बचत करते हैं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पालीटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण, असेवित जिलों में पालिटेक्निकों की स्थापना एवं कम्युनिटी कॉलेजों की स्थापना आदि योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की को राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह–ग के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दिये जाने के फलस्वरूप परिषद द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में चल रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन सफलता एवं पारदर्शिता पूर्वक किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी इंजीनियरिंग संस्थान न होने के कारण दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों की गुणवत्तापरक, तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकतानुरूप नई टिहरी, गोपेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा टनकपुर में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों के रूप में इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित किये गये हैं। उक्त चारों

संघटक संस्थानों में चार वर्षीय पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग के 05 मुख्य शाखाएं (इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग,कम्प्यूटर साइन्स इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेली कम्यूनिकेशन) प्रत्येक शाखा में 60 सीट अनुमन्य करते हुए प्रत्येक संस्थान में कुल मिलाकर 300 सीट प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। मैनेजमेन्ट आधारित शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु कुल ` 167.43 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कला एवं संस्कृति :

संस्कृत विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण–संवर्द्धन एवं उसका सर्वांगीण विकास करना है। प्रदेश में आयोजित होने वाले पौराणिक/ ऐतिहासिक /व्यापारिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण

मेलों/उत्सवों को चिन्हित कर इन्हें सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से वृहद् स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा तीर्थाटन व सांस्कृतिक विरासत मेलों को जोड़ने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रदेश के लोक संगीत की विभिन्न विधाओं यथा परम्परागत लोक गायन, जागर, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, लोक–वाद्य जो विलुप्ति के कगार पर हैं, इनके संरक्षण–संवर्द्धन हेतु गुरू–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी तथा इन परम्परागत विधाओं में प्रशिक्षित व्यक्तियों को मानदेय तथा प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। 'लोक गायक/कलाकार कल्याण कोष' की स्थापना की जायेगी, जिसके राज्य के कलाकारों एवं साहित्यकारों की दुर्घटना आदि की स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हैरिटेज बिल्डिंग्स (धरोहरों) का रख–रखाव, संरक्षण एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य किये जायेंगे। जनपद चम्पावत में अवस्थित सांस्कृतिक स्थलों–पूर्णागिरी मन्दिर, गोरखनाथ मन्दिर,

गौरलचौड़, व्यानधुरा, बाणासुर का किला तथा देवीधुरा मन्दिर आदि का सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से संरक्षण–सम्बर्द्धन किया जायेगा। इसी क्रम में पारम्परिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण हेतु पेटशाल (अल्मोड़ा) व टिहरी झील के निकट एक–एक विद्यालय स्थापित किया जायेगा तथा मुन्स्यारी स्थित पांगती संग्रहालय एवं धारचूला में रंग संस्कृति संग्रहालय को एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जायेगा। राज्य की अलग पहचान हेतु राज्यगीत तथा हैड गेयर का चयन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कला एवं संस्कृति विभाग हेतु कुल ` 27.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

संस्कृत शिक्षा :

विश्व की सबसे प्राचीन व समूह भाषा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देते हुए पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत

शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में संस्कृत विभाग हेतु कुल ` 25.61 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

भाषा :

राज्य भाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार, संबर्द्धन संरक्षण आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी की स्थापना की जा चुकी है। इस अकादमी का नाम उत्तराखण्ड के महान साहित्यकार डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल के नाम पर डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी रखा गया। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संकलन/प्रकाशन योजना, उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन, हिन्दी दिवस एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रख्यात,साहित्यकारों की जयन्ती का आयोजन एवं हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन, योजनाऐं चलाई जा रही हैं। संकलन/प्रकाशन योजना के अन्तर्गत अकादमी की

''केदारमानस'' पत्रिका महान साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्वों को आधार बनाकर प्रकाशित की जा रही हैं।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में व्यवहार में आने वाली भाषाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य में भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ के गाँव, शहर, पर्वत, नदी, नालों, खेतों, चौराहों आदि के नाम पड़ने के कारणों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

राज्य में उर्दू भाषा के विकास एवं संबर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू भाषा के प्रचार–प्रसार और उर्दू साहित्य के संबर्द्धन हेतु उर्दू पुस्तकालय की स्थापना एवं उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान उर्दू साहित्यकारों की जयन्ती पर उर्दू साहित्यकारों का सम्मान, मुशायरें आदि का आयोजन करना एवं स्कूलों मदरसों में उर्दू भाषा से सम्बन्धित निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाना आदि योजनायें बनाई जा रही है। उर्दू अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

राज्य में पंजाबी भाषा के विकास एवं संबर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी की स्थापना की जा चुकी है। पंजाबी अकादमी द्वारा शोध पत्रिका का प्रकाशन, उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन योजना, पंजाबी साहित्यकारों की संगोष्ठी आदि योजनाएं बनाई जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में भाषा विभाग हेतु कुल ` 27.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण :

खेल विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के उन्नयन तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं खेलों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर खेलों के क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास करना है। उत्तराखण्ड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय नवीन खेल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एवं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स

का निर्माण किया जायेगा। इसी क्रम में हल्द्वानी में अड़तालीस एकड़ भूमि में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विशेष अयोजनागत सहायता के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड/पवेलियन ग्राउण्ड देहरादून में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून के एथलेटिक्स ग्राउण्ड में सिंथैटिक ट्रैक एवं बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में साहसिक खेलों की असीम सम्भावनाएँ हैं। इसके दृष्टिगत रूड़की में सोनाली नदी में बैक वाटर खेल एवं पंचेश्वर चन्द्रपुर तथा कर्ण प्रयाग में वाटर स्पोर्ट्स, वाईकिंग, एयरों स्पोर्ट्स की सुविधाएँ विकसित की जायेगी। सरकार खेल को जीवन अंग के रूप में स्थापित करने हेतु शीघ्र ही विभिन्न खेल विधाओं के प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगी। सरकार नैनसिंह इस्टीट्यूट ऑफ माउन्टेनिंग को पूर्ण करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। सरकार द्वारा राज्य में खिलाड़ियों द्वारा उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने के फलस्वरूप देवभूमि

उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं तथा वर्तमान खिलाड़ियों का भोजन भत्ता बढ़ा कर ` 200 कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी ।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षा दल विभाग के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधा का विकास करने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य को सशक्त रूप से स्थापित करने के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 में ग्रामीण खेलों तथा 2016–17 में संस्थागत खेलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

ग्रामीणों में आत्मबल, आत्मनिर्भरता, अनुशासन तथा साम्प्रदायिक मेलजोल की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का एक मजबूत संगठन कार्य करता है। राज्य में आपदा, निर्वाचन,धार्मिक पर्वों आदि में लॉ एण्ड ऑर्डर के तहत पुलिस विभाग के साथ पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती की जाती है।

वर्ष 2015–16 में एन.एस.एस. सामान्य शिविरों, विशेष शिविरों का आयोजन, राजीव गांधी खेल अभियान/पायका योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु कुल ` 102.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने में सेतु की भूमिका निभाता है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा सरकार की नीतियों एवं

जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुॅचाने के लिये राज्य का सूचना विभाग प्रतिबद्ध है।

विकास कार्यों के सफल संचालन में इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया की अहम भूमिका के दृष्टिगत विभाग द्वारा मीडिया से पर्याप्त सेवाएं एवं समन्वय स्थापित किया जा रहा है। साथ ही मीडिया के हितो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आपदाग्रस्त पत्रकार तथा उनके आश्रितों की सहायता के लिये स्थापित कॉरपस फण्ड की धनराशि को डेढ़ गुना किया जा रहा है। श्रमजीवी पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की गयी है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की परिवहन निगम की बसों में पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। इसी क्रम में पत्रकारों हेतु एक पेंशन योजना प्रारम्भ की जायेगी। 1960 से पूर्व के ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकायें जो आज भी प्रकाशित हो रहे हैं हेतु एक

गैलरी हिमालयन कल्चर सेन्टर में निर्मित की जायेगी तथा इनकों धरोहरों के रूप में स्थापित किया जायेगा।

सूचना विभाग द्वारा राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के लिए राज्य की फिल्म नीति तैयार की जा रही है। राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी नीतियों/योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रचार सहित्य के साथ–साथ 'देवभूमि संदेश' मासिक पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है।

राज्य में प्रचलित विभिन्न बोलियों/भाषाओं में राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा प्रदेश की विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों का चयन किया गया है। इनके माध्यम से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक राज्य

सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु कुल ` 28.98 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

राज्य पुलिस बल को यथोचित उपयोगी प्रशिक्षण, वाहन, शस्त्र एवं संयंत्रों से सुसज्जित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुलिस बल का राष्ट्रीय परिदृश्य एवं अन्य प्रदेशों की तुलना में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण है। उपकरण–शस्त्र क्रय, वाहन क्रय तथा कर्मचारियों की आवासीय सुविधा, राज्य के सीमावर्ती जनपदों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न थानों व चौकियों की स्थापना करते हुये प्रभावी चौकसी सुनिश्चित करते हुये अवांछित तत्वों के घुसपैठ रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिये सार्थक प्रयास किया गया है। दिनांक 24–12–2014 को थाना कोतवाली

जनपद देहरादून में मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याणार्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ` 5 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की गयी है।

राज्य आपदा प्रतिवाद बल (एस.डी.आर.एफ.) के मुख्यालय एवं वाहिनियों की स्थापना हेतु जनपद देहरादून के स्थान जौलीग्रान्ट में 23 हेक्टेयर वन भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की सहमति हो चुकी है। विश्व बैंक के सौजन्य से एस.डी.आर.एफ. उपकरण क्रय किये जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन में सी. सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य में समस्त जनपदों में गोलाईव सम्पन्न किया गया। उत्तराखण्ड राज्य सी.ए.एस. के साथ सी.सी.टी.एन.एस के क्रियान्वन करने वाले समस्त राज्यों में प्रथम है। उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अभी तक सम्पन्न सभी कार्यों की महानिदेशक राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों द्वारा राज्य की प्रशंसा भी की गयी है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1976 के अन्तर्गत प्रभावी एवं निष्पक्ष अभियोजन के आशय से मजिस्ट्रेट न्यायालयों में पैरवी करने हेतु धारा–25(ए) के अधीन प्रदेश में गृह विभाग के नियंत्रण में स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना की गई है। जनपद उत्तरकाशी में विभाग के कार्यालय व आवासीय भवन हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है।

उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के बाद राज्य में होमगार्ड्स स्वयं सेवको के कार्य–कलापों की गौरवशाली परम्परा रही है, तथा पुलिस बल के साथ विशेष योगदान रहा है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में इस संगठन द्वारा प्रशासन को अत्यन्त उपयोगी सहयोग प्रदान किया जाता है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलो में राजस्व पुलिस के कर्मियों के साथ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अनेक राज्यों ने निष्पक्षता पूर्वक चुनाव हेतु इनकी सराहना के साथ–साथ भूरि–भूरि प्रशंसा की है। पुलिस बल आदि के समान ही पुलिस के सम्पूरक बल के रूप में होमगार्ड्स विभाग को शासन तथा प्रशासन द्वारा दी गयी राष्ट्रीय/राज्य स्तर की

समस्त प्रकार की ड्यूटियों के कर्तव्यनिष्ठ व सराहनीय सेवाओं में होमगार्ड्स विभाग का बहुमूल्य योगदान है। होमगार्ड्स में महिलाओं हेतु 20 प्रतिशत आरक्षण किया जा रहा है तथा महिला सुरक्षा एवं रोजगार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग में महिला कान्सटेबिलों, इस्पेक्टरों की संख्या में वृद्धि की जायेगी। पुलिस विभाग के खिलाड़ियों को पोषक भत्ता दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा विभाग हेतु कुल ` 1207.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राजस्व :

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत खतौनी, खसरा आदि के डिजीटाइजेशन के साथ ही सम्पत्तियों के निबंधन व अमलदरामद आदि को भी पूर्ण रूप में कम्प्यूटराईज्ड कर ऑनलाईन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों को इस

स्तर तक त्रुटिरहित करना है कि सम्पत्ति के बैनामें (रजिस्ट्री) के साथ ही क्रेता का सम्पत्ति पर स्वामित्व प्रमाणित हो जाय।

राज्य में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है एवं उसके तहत भारत सरकार द्वारा निर्देशित गाईडलाइन के अनुरूप उत्तराखण्ड लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइेजेशन सोसाईटी का पंजीकरण कराया गया है। वर्ष 2014 में राज्य सरकार द्वारा जनहित के दृष्टिगत जनपद रूद्रप्रयाग में वसुकेदार तहसील, जनपद चमोली में जिलासू तहसील, जनपद देहरादून में डोईवाला तहसील/सब डिवीजन, जनपद पिथौरागढ़ में तहसील थल, तहसील बगला पानी तथा उप तहसील नाचनी, जनपद अल्मोड़ा में उप तहसील मछोड़, जनपद उधमसिंहनगर में रूद्रपुर तहसील गठन की अधिसूचना निर्गत करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अलावा जनपद हरिद्वार में उप तहसील नारसन का

उच्चीकरण, जनपद चम्पावत में बाराकोट उप तहसील का उच्चीकरण, जनपद पिथौरागढ़ में तहसील देवलथल व कनालीछीना का उच्चीकरण एवं जनपद बागेश्वर में काफलीगैर उप तहसील को उच्चीकृत करते हुए तहसील का दर्जा दिया गया। वर्ष 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जनपद देहरादून के ग्राम सिल्ला तोक मध्ये ग्राम चलचला व गढबुरास खण्डा नामक 02 राजस्व ग्रामों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी। राजस्व विभागों के कार्यों में तीव्रता लाने हेतु पटवारी एवं कानूनगो के पदों को एक अभियान चला कर भरने की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न परिस्थितियों से निपटने हेतु जिलाधिकारियों के निर्वतन में अन्टाईड फण्ड की स्थापना की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्व विभाग हेतु कुल ` 376.98 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आपदा प्रबन्धन :

उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसके दृष्टिगत सरकार प्रदेश में आपदा प्रबन्धन विभाग के आधुनिकीकरण का विशेष प्रयास कर रही है। वर्ष 2013 की आपदा की दौरान लगभग 2500 परिवारों के आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये थे, ऐसे परिवारों को विश्व बैंक पोषित आपदा सुरक्षित भवन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। एशिया विकास बैंक के आर्थिक सहयोग से सड़क अवसंरचनाओं को सृदृढ़ किया जा रहा है।

आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिपादन एवं यात्रियों की सुरक्षित निकासी हेतु राज्य विभिन्न स्थानों में 52 हैलीपैड़ों का निर्माण किया जा रहा है।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित संवेदनशील 341 ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया है। जिनमें से लगभग 200 गांवों का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों के भूगर्भीय सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाये जाने के उद्देश्य से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत

सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लिये स्वीकृत 02 डाप्लर वैदर रडारों को मसूरी (देहरादून) व नैनीताल में स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है।

सरकार द्वारा आपदा के रोकथाम एवं नवीनीकरण हेतु आपदा के प्रति संवेदनशील स्थानों पर घातकता का आंकलन वृहद स्तर पर कराकर संवेदनशील पाये गये स्थानों का यथा आवश्यकता स्थायित्व प्रदान करने हेतु न्यूनीकरण उपायों का प्रयास किया जायेगा। राज्य में घटित होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन दल एन. डी.आर.एफ. की बटालियन स्थापित करने हेतु जनपद उत्तरकाशी के स्थान सिरोड़ तथा जनपद अल्मोड़ा के स्थान सरियापानी में निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गई है। एन0डी0एम0ए0 की तर्ज पर एस0डी0एम0ए0 केदारनाथ एवं जौलजीवी में बाढ़ बचाव इकाई का निर्माण करेगा। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों को आपदाग्रस्त व्यक्तियों हेतु लैण्ड बैंक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार द्वारा आपदा की रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु प्रत्येक जनपद में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा 10 पर्वतीय जनपदों के आपातकालीन परिचालन केन्द्रों में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिनके माध्यम से विभिन्न विभागों यथा पुलिस, अग्निशमन, पी.ए.सी., राजस्व एवं होमगार्ड के 2800 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 7700 व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा के साथ ही खोज एवं बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपदा प्रबन्धन विभाग हेतु कुल ` 1707.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पंचायतीराज :

सरकार पंचायतों को भारतीय संविधान की व्यवस्थानुसार सुदृढ़ बनाने व स्वशासन को सबल करने की ओर प्रयत्नशील है। जून 2014 में उत्तराखण्ड के 12

जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन निर्विध्न रूप में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन कराये गये। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि/निर्माण हेतु पृथक से प्रतिवर्ष धनराशि दी जा रही है। चम्पावत, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग तथा बागेश्वर की जिला पंचायतों को रू0 50–50 लाख तथा शेष जिला पंचायतों को ` 75.00 लाख एवं क्षेत्रीय पंचायतों को ` 35.00 लाख रूपया अनुदान स्वरूप दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पंचायतीराज हेतु कुल `13.48 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

ग्राम्य विकास :

सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय विकास आदि हेतु निरन्तर प्रयासरत है। केन्द्र सरकार के न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन की योजनायें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना तथा

ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा आवास योजना आदि का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड राज्य में सफलतापूर्वक किया गया है। सीमान्त एवं पिछड़े विकासखण्डों में केन्द्रीय वित्त पोषण के अतिरिक्त अति आवश्यक अवस्थापना कार्यों के लिये सरकार ने उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम्य विकास हेतु कुल `1457.74 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार विकास योजनाओं के निरूपण क्रियान्वयन, अनुरक्षण करने व नागरिकों में वैज्ञानिक समक्ष व रूचि में वृद्धि करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् वर्ष 2005–06 के मध्य में सक्रिय हुई है। इसकी कार्ययोजना–शोध एवं विकास, प्रदर्शन एवं विस्तार,

महिला एवं कमजोर वर्ग हेतु साइंस सोसाइटी कार्यक्रम, उद्यमिता विकास आदि हैं।

परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान के सहयोग से 05 शहरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की समस्या का निदान किया गया है। पेटेंट सूचना केन्द्र एवं बौद्धिक सम्पदा सुविधा केन्द्र का परिषद में सफल संचालन किया जा रहा है। परिषद् बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए राज्य नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। इसके तहत अब तक 13 पेटेंट पंजीकृत किये जा चुके है। यूसर्क के सहयोग से कुमांऊ विश्वविद्यालय में 'सेन्टर फार क्लाइमेट चेंज' स्थापित कर राज्य के मौसम एवं प्राकृतिक घटनाक्रम का विशद् अध्ययन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) केन्द्र का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा राज्य के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन, विकास एवं नियोजन संबंधी क्रियाकलापों में तथा प्राकृतिक एवं मानव जनित संसाधनो की सूची, मानचित्रण, विकास, नियोजन एवं अनुश्रवण करना है। केन्द्र द्वारा ''विकेन्द्रीकृत नियोजन

हेतु अन्तरिक्ष आधारित सहायता'' परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य का भू–स्थानिक डेटाबेस 1:10,000 स्केल पर सृजित किया जा रहा है जो राज्य के विकास एवं नियोजन क्रियाकलापों में सहायक सिद्ध होंगे। जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न गतिविधियां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्रुत गति से प्रगति कर रही है तथा इसका प्रभाव मानव जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्याशित एवं अप्रत्याशित रूप में, परिलक्षित हो रहा है। जैवप्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में स्वरोगार सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकने की योजनाओं को मार्ग भी प्रशस्त होगा।

उत्तराखण्ड में आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी तक पहुचाने के प्रयासों के तहत, विभाग, किसानों/बेरोजगार युवकों के लिए जैविक खेती, हाईब्रिड सब्जी की खेती, अभिनव प्रौद्योगिकी के प्रयोगों तथा सत्त ग्रामीण विकास तथा केंचुआ खाद आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विभाग ने इसी तरह

का एक स्वरोजगार सृजन का कार्यक्रम ''एकीकृत एक्वा फार्मिंग'' को शुरू किया है।

सम्प्रति विभाग में जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए लगभग 20 परियोजनायें गतिमान है। अपने कार्यक्रमों के द्वारा विभाग ने जैवप्रौद्योगिकी के तीनो क्षेत्रों–पादप, जीव, तथा सूक्ष्म जीवविज्ञान, में अनेक पहलों को कार्यान्वित किया है जिनके द्वारा तकनीकी जानकारियाँ, उत्पाद एवं विशेष पैकेजों को समाज के हित में प्रयोग में लाया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हेतु कुल ` 7.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवायें सरलता पूर्वक उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग सुनिश्चित करने तथा समाज के विभिन्न अवयवों

को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचना सुलभ कराने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय के अन्तर्गत शासन स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन राज्य निर्माण के उपरान्त किया गया है। विगत वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं को राज्य में सफलता पूर्वक लागू किया गया है जिनमें विभागों की कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व सुधार सम्भव हो सका है व शासकीय कार्य के निष्पादन में गति आयी है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित लाभ समस्त विभागों और उनकी क्षेत्रीय ईकाईयों को उपलब्ध कराने के उददे्श्य से राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग (स्वान) स्थापित किया जा रहा है। इसमें एक ही नेटवर्क द्वारा इंटरनेट एवं विडियो कांफ्रेसिंग की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगीं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु कुल `10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन :

राज्य में पर्यटन की असीम सम्भावना है तथा राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड की पर्यटन नीति के अनुसार निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन संसाधन का विकास, प्रसार प्रसार एवं पर्यटन विपणन पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौती पूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है जिससे राज्य अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन आकर्षण के रूप में और सशक्त ढ़ंग से स्थापित किया जा सके। वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है।

सरकार द्वारा जहाँ एक ओर विश्व प्रसिद्ध श्री नन्दादेवी राजजात का सफलता पूर्वक संचालन वर्ष 2014 में करवाया गया, वहीं दूसरी ओर वर्षपर्यन्त चारधाम यात्रा संचालित किये जाने की दृष्टि से शीतकालीन चारधाम यात्रा शीतकालीन गद्दी स्थलों के लिये प्रारम्भ की गयी है। आपदा के उपरान्त पर्यटकों को सुरक्षित एवं मनोरम

उत्तराखण्ड का संदेश दिये जाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख शहरों यथा मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलौर आदि में ट्रेवल एण्ड टूर आपरेटर्स तथा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। टिहरी झील के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से ''टिहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण'' का गठन किया गया है तथा मास्टर प्लानर एवं ट्राजेक्सन एडवाइजर की नियुक्त भी की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन सेक्टर से स्थानीय ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु ''ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना; प्रारम्भ की गयी है। हुनर से रोजगार योजना के अन्तर्गत रीजनल कुक, वेटर कम हाउसमैन एवं हाउस कीपिंग यूटीलिटीस के अन्तर्गत अब तक 611 व्यक्तियों को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों तथा पर्यटन मार्गों में स्थित ढ़ाबा, चाय वालों हेतु प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की जायेगी। इन मार्गों के किनारे सराय/विश्राम गृहों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया जायेगा। पर्यटन क्षेत्रों के निकटवर्ती ग्रामों में ब्रेड एण्ड बटर

योजना चलाई जायेगी जिसके अन्तर्गत ग्रामवासियों को पर्यटनोमुख रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। द्यारा बुग्याल (उत्तरकाशी), खलियाटाप (मुन्स्यारी) को स्कींग केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

पर्यटन गतिविधियों हेतु वर्ष 2015–16 में `200.59 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उचित दरों पर खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जाता है। सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण में पारदर्शिता हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किये जाने का कार्य भी प्रगति पर है तथा उक्त प्रक्रिया के प्रथम चरण में राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु राज्य उपभोक्ता

फोरम तथा राज्य उपभोक्ता आयोग कार्यरत है तथा उपभोक्ताओं एवं सामान्य जन को विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत सुझाव के लिये राज्य में कन्ज्यूमर हेल्प लाइन की स्थापना की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु कुल `344.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

श्रम प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

प्रदेश में कुल 3356 कारखाने हैं जिसमें लगभग चार लाख श्रमिक कार्यरत हैं। श्रम विभाग–श्रम आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड का मुख्य कार्य केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्द बनाने में सहयोग देना, औद्योगिक विवादों का निस्तारण करना, न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान, ग्रेच्युटी, समान कार्य के लिए महिला श्रमिकों को समान वेतन, मातृका हितलाभ, बोनस

भुगतान, दुर्घटना के कारण अपंग कर्मकारों को एवं मृत कर्मकारों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान आदि से संबंधित दावों का निस्तारण कराना, बाल एवं बधुवा श्रमिकों का पुर्नवास करना आदि है। प्रदेश में बाल श्रमिक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हींकरण का कार्य निरन्तर जारी रखा गया हैं, विशेष अभियान के रूप में बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं चिन्हींकरण/पुनर्वास की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही हैं। जिसके फलस्वरूप 13 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये हैं। राज्य सरकार बंधुवा श्रम प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में महिला कर्मकारों को शोषण से बचाने हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है, जो महिला कर्मकारों के यौन शोषण आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर विचार करने तथा शासन को परामर्श देने का कार्य करती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरों के पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है तथा परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरों

का भी निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार प्रत्येक 6 माह मे किया जा रहा है। श्रमिकों के हित में श्रम कल्याण निधि का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से `1,43,34,416 की धनराशि जमा की गई है, जिसका उपयोग श्रमिकों के कल्याणार्थ किया जायेगा।

राज्य के समस्त सेवायोजन कार्यालय ''कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर'' के रूप में विकसित किये गये है। इन सेन्टरों द्वारा विभिन्न तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों के प्रवेश, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी, समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त रोजगार सम्बन्धी जानकारी, रोजगार समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार सह–कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कुल 25202 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में श्रम प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग हेतु कुल `192.98 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वर्ष 2015–16 में कुल प्राप्तियाँ ` 32310.07 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें ` 25777.67 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा ` 6532.39 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ` 14989.57 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ` 5526.08 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ` 11531.55 करोड़ में कर राजस्व ` 9463.49

करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ` 2068.06 करोड़ अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2015–16 में ऋणों के प्रतिदान पर ` 2776.79 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ` 3380.14 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग ` 9129.76 करोड़, सहायता प्राप्त षिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ` 675.98 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ` 2623.90 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2015–16 में कुल व्यय ` 32693.64 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ` 25739.33 करोड़ राजस्व

लेखे का व्यय है तथा ` 6954.31 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय में ` 11634.49 करोड़ आयोजनागत एवं ` 21059.15 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में ` 7460.17 करोड़ आयोजनागत पक्ष एवं ` 18279.16 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूंजीगत व्यय में ` 4174.32 करोड़ आयोजनागत पक्ष में एवं ` 2779.99 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में होना अनुमानित है।

समेकित निधि में घाटा :

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ ` 32310.07 करोड़ में कुल व्यय ` 32693.64 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2015–16 में ` 383.57 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक :

वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि ` 38.35 करोड़ का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि ` 4101.78 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2015–16 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ` 200 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2015–16 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष ` 281.77 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष ` 123.20 करोड़ धनात्मक रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

इन पंक्तियों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

यदि हों बुलन्द होंसले तो मंजिल मिल जाती है।
सिर उठाकर गर आसमान को देखोगे बार–बार,
तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है।।

.....शक संवत्.....

तद्नुसार